न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या – 115/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) डेगाना		1. बालुराम पुत्र जयराम कौम रेगर सा. ईडवा (फौत) के कायम मुकामान– 1/1 निम्बाराम पुत्र बालुराम 1/2 मानाराम पुत्र बालुराम 1/3 शंकर लाल पुत्र बालुराम 1/4 भंवरी पुत्री बालुराम 1/5 गीता पुत्री बालुराम 1/6 सीता पुत्री बालुराम 1/7 परस्सी पुत्री बालुराम सभी कौम रेगर निवासी नागेलाव तहसील पीसांगन जिला अजमेर

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक : 07/10/2019

प्रार्थी तहसीलदार डेगाना ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर कलक्टर नागौर ने उक्त प्रकरण उनके न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना अवगत कराते हुऐ उक्त प्रकरण पत्रांक–एडीएम/कोर्ट/726 दिनांक 24.07.2014 के द्वारा इस न्यायालय को भिजवाये जाने पर यह प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने हस्तगत सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया, जिस पर आदेशिका दिनांक 16.03.2017 अनुसार इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में राजपैरोकार की एकतरफा बहस सुनी गई। राजपैरोकार ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि मौजा ईडवा के खसरा नम्बर 1053/445, 683 रकबा 5.00, 6.02 (कुल 11.02) बीघा भूमि अप्रार्थी बालु पुत्र जयराम जाति रेगर निवासी ईडवा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी, जिसका नामान्तरणकरण संख्या 490 ग्राम ईडवा भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी। जो नामान्तरणकरण की प्रति से सुस्पष्ट है।

अप्रार्थी भागू को उक्त भूमि वर्ष 1972 में आंवटन हुई थी तथा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के उपनियम 14(3) के तहत् प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भू–भाग को व द्वितीय वर्ष में शेष भाग को जोतना आवश्यक था। अप्रार्थी ने उक्त अधिनियम की धारा 14 (3) की शर्तो का पालन नहीं किया जो ग्राम आलनियावास की खसरा गिरदावरी संवत् 2053–2068 तक की नकलों से सुस्पष्ट है। अप्रार्थी को आंवटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है, मौके पर भूमि कृषि अयोग्य के रुप में है जिस पर काश्त मुमकिन नहीं है, जो पटवारी हल्का ईडवा की रिपोर्ट से सुस्पष्ट होने का कथन करते हुऐ अप्रार्थी बालू को दिये गये गैर खातेदारी अधिकार निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। मौजा ईडवा के खसरा नम्बर 445 (1053/445), 683 में से कुल रकबा 11.02 बीघा भूमि अप्रार्थी बालु पुत्र जयराम माली साकिन ईडवा को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1970 के तहत् आंवटन हुई थी, जिसका नामान्तरकरण संख्या 490 भरा जाकर गैर खातेदारी दर्ज की गई थी, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

कलक्टर, नागौर

नामान्तरकरण संख्या–490 व जमाबन्दी संख्या 738 नई, 721 पुरानी ग्राम ईडवा तहसील डेगाना संवत 2061 से 2064 से भी साबित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला दिनांक 07.02.2012 के अनुसार अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन वर्ष 1972 में किया गया है। पटवारी हल्का ईडवा की मौका रिपोर्ट रूबरू मौतबिरान दिनांक 12.01.2012 के अनुसार मौके पर आवंटी की काश्त नहीं है। प्रस्तुत खसरा गिरदावरियों की प्रतियों के अनुसार लगभग अधिकांशतः वर्षों में आवंटी/अप्रार्थीगण की आवंटित भूमि पर काश्त नहीं है। तहसीलदार डेगाना ने प्रकरण में वर्ष 1972 से 1975 (संवत् 2029 से 2032) तक की गिरदावरी की नकलें भिजवाते हुऐ खसरा नम्बर 445 में संयुक्त काश्त की हुई होना तथा खसरा नम्बर 683 गै.मु. नाडी में कोई काश्त की हुई नहीं होना अवगत कराया है। इस प्रकार पटवारी मौका रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर आवंटी की काश्त नहीं है एवं खसरा गिरदावरी (चतुवर्षीय) के अनुसार भी आवंटी की काश्त दर्ज नहीं है, जो आवंटन आदेश की शर्तों का उल्लघंन होने से अप्रार्थी बालू पुत्र जयराम कौम रेगर सा0 ईडवा को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व मामला आवेदन स्वीकार किया जाता है। ग्राम ईडवा में अप्रार्थी बालू पुत्र जयराम कौम रेगर सा0 ईडवा के नाम पर खसरा नम्बर 445 (1053/445)में से रकबा 5.00 बीघा तथा खसरा नम्बर 683 में से रकबा 6.02 बीघा कृषि प्रयोजनार्थ किये गये भूमि आवंटन को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार डेगाना को भूमि का इन्द्राज पूर्ववत बहाल कर सरकारी तहवील में लिये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार डेगाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

11/5/15

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.05.26 17:27:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: